	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी) **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** (A Government of India Undertaking Miniratna Company) **CENTRAL STATE FARM, SURATGARH** Distt:- SriGanganagar Phone No.: 01509–223873 Email ID-ago.csfsuratgarh@gmail.com

सी.एस.एफ. / **सूरतगढ़** / 2–65 / कृषि / 2021–22 / दिनॉक :– 10.02.2022.

ई-निविदा/अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज.) में **रबी 2021–2022** में बोई गई **सरसों 2191.00 एकड, तोरिया 99.00 एकड व चना 4531.50 एकड की कटाई, थ्रेसिंग** करने हेतु **ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो कि दिनाँक 16.02.2022 को** 1:00 **बजे तक भरी जा सकती हैं और जिन्हें उसी दिन दोपहर** 2:30 **बजे खोला जाएगा, साथ ही** सीलबंन्द **ऑफलाइन** निविदायें चकवार ब्लॉ्कवार दिनांक **17.02. 2022** को दोपहर 1.00 बजे तक आमत्रित की जाती है, उसी दिन सांय 3:00 बजे कमेटी द्वारा खुलीबोली करवानें के बाद प्राप्त निविदाऐ खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, निविदा के दिन दोपहर 12.00 बजे तक **कृषि संभाग,** केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ **से,** धरोहर राशि रूपये 10000/– मात्र प्रत्येक चक के लिए और निविदाफार्म **शुल्क** रू. 236/– डी. डी./RTGS/NEFT **के द्वारा** **"NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH"** के **पक्ष में** जमा कर **प्राप्त किए जा सकता है।** निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है । सफल बोली दाता/ निविदा दाता को छोडी गई फसल की बोली/ निविदा **दर** की 25 प्रतिशत रकम **कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर** जमा करानी होगी, तथा असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना स्थायी पता **के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड** / पैन कार्ड की प्रति देनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)

निविदा प्रपत्र

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

रबी 2021-2022 की फसलों की हाथ से कटाई /गहाई के लिए टेन्डर दिनॉक 17.02.2022.

कार्य का विवरण :– खेतों की खडी फसल को काटना इकटठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर तक पहुचाना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा **ठेकेदार को फार्म को देने-लेने के रुपए अंकित करना अनिवार्य है**। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होनें तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगें बाहर नहीं जायेगा।

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड में)	दर प्रति एकड रूपयों में	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
सरसों फसल				
ब्लाक 1	38 STG	228.00		
	40 STG	116.00		
	42 STG	282.00		
	44 STG	220.00		
	BRP-I	124.00		
TOTAL :-		**970.00**		
ब्लाक 2	RPM-1	58.00		
	RPM-2	108.50		
	RPM-3	43.00		
	RPM-4	200.00		
	31 A PBN	89.00		
	31 B PBN	150.00		
	33 PBN	63.00		
TOTAL :-		**711.50**		
ब्लाक 3	34 PBN	165.50		
	3 SGM	124.00		
	4 SGM	220.00		
TOTAL :-		**509.50**		
G.TOTAL		**2191.00**		

ठेकेदार के हस्ताक्षर...
नाम व पूरा पता:...
....
मोबाईल न0...
निविदादाता का बैंक खाता संख्या
IFSC CODE/BRANCH NAME ....
....

निविदा प्रपत्र

रबी 2021-2022 की फसलों की हाथ से कटाई /गहाई के लिए टेन्डर दिनॉक 17.02.2022.

कार्य का विवरण :– खेतों की खडी फसल को काटना इकटठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर **तक पहुचाना**। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा **ठेकेदार को फार्म को देने-लेने के रुपए अंकित करना अनिवार्य है**। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होनें तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगें बाहर नहीं जायेगा।

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड में)	दर प्रति एकड रूपयों में	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
तोरिया फसल				
ब्लाक 1	38 STG	75.00		
TOTAL :-		**75.00**		
ब्लाक 3	3 SGM	24.00		
TOTAL :-		**24.00**		
G.TOTAL		**99.00**		
चना फसल				
ब्लाक 1	35 STG	240.00		
	37 STG	474.00		
	38 STG	293.00		
	40 STG	300.00		
	BRP-I	197.00		
TOTAL :-		**1504.00**		
ब्लाक 2	RPM-1	535.00		
	RPM-2	485.00		
	RPM-3	218.00		
	RPM-4	345.00		
	31 A PBN	182.00		
	31 B PBN	325.00		
	33 PBN	269.00		
TOTAL :-		**2359.00**		
ब्लाक 3	34 PBN	422.50		
	3 SGM	79.00		
	4 SGM	167.00		
TOTAL :-		**668.50**		
G.TOTAL		**4531.50**		

ठेकेदार के हस्ताक्षर...
नाम व पूरा पता:...
....
मोबाईल न0...
निविदादाता का बैंक खाता संख्या
IFSC CODE/BRANCH NAME ....
....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)
रबी 2021–22 फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्तें

1. **सफल** निविदा दाता/बोलीदाता को रूपये 10000/– मात्र प्रत्येक चक व फसल के लिए धरोहर राशि के रूप में डी.डी. /RTGS/NEFT के द्वारा **"NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH"** के पक्ष में जमा कराना होगा।

2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पता के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड / पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड़ अंकित हो को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनविार्य हैं।

3. **सफल बोली दाता/ निविदा दाता को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर रूपये 10000/– मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि के रूप मै फार्म खाते मै जमा कराना होगा। सफल बोली दाता/ निविदा दाता के द्वारा पूर्व मै जमा धरोहर राशि अमानत राशि के रूप परिवर्तित की जा सकती है। जमा अमानत राशि को कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। आवंटित क्षेत्र की 25 प्रतिशत राशि कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करानी होगी शेष 75 प्रतिशत राशि थ्रैसिंग शुरू करने से पहले जमा करानी होगी। रकम जमा नहीं करानें पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । असफल बोली दाता को राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।**

4. निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार **पूर्ण रूप से** फार्म **प्रमुख** का होगा ।

5. सरसों/तोरिया, तारामीरा व चना फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

6. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होगें, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होगें, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई सरसों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।

7. सरसों/तोरिया व तारामीरा की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व चने की थ्रेसिंग फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा ।

8. अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर **पहुचाना** होगा । संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी ।

9. ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा । नीरा सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करनें पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें ।

10. कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

11. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

12. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

13. **फसलों की** कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी **पूर्ण रूप से** ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

14. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रूपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर ,सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।

15. **कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा फार्म लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु** जिम्मेदार **नहीं होगा।**

16. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

17. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।

18. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अतिंम होगा।

19. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोदित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

'''''

निविदादाता के हस्ताक्षर